प्रेस नोट दिनांक-25.10.2025

थाना बलुआ जनपद चन्दौली

🔰 **थाना बलुआ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान गोवध के अभियोग में वांछित शातिर गोतस्कर व 25000/- रूपये का इनामिया अभियुक्त के कब्जें से 01 अवैध रिवाल्वर .38 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .38 बोर बरामद कर किया गया गिरफ्तार**

पूर्व की घटना-
प्रार्थी अजय कुमार सिंह पुत्र स्व0 अपरवल सिंह निवासी ग्राम सुरतापुर थाना बलुआ चन्दौलीके द्वारा तहरीर दिया गया कि दिनांक 17.01.2025 को मेरे भाई मदन सिंह उम्र लगभग 60 वर्ष अपनी साइकिल से गंगा स्नान के लिए बलुआ घाट जा रहे थे ग्राम सोनहुला मे सुबह करीब 04.30 बजे पर बलुआ की ओर से चहनियां की तरफ जा रही एक पिकअप सफेद रंग जिसमें नम्बर प्लेट नही लगा है। चालक द्वारा अत्यन्त तेज गति से गाडी चलाते हुए विपरित दिशा से आ रहे मेरे भाई टक्कर मार दिया जिससे मौके पर ही गम्भीर रूप से घायल हो गए जिनको पुलिस टीम द्वारा उन्हे तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल चन्दौली ले जाया गया जहां डाक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। उक्त बोलेरो पिकअप के चालक द्वारा बिजली के पोल मे टक्कर मारकर उसे तोड़ दिया गया तत्पश्चात चालक गाडी से निकल कर भाग गया गाडी के उपर से तिरपाल हटाकर देखा गया तो अन्दर 06 साड बुरी तरह से मुह एवं चारो पैर बुरी तरह रस्सियों से बांधकर लादा गया था। प्रार्थी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 12/2025 धारा 106(1), 281, 324(2) 324(3) बीएनएस व 2/3 लोक सम्पत्ति क्षति नि0अधि0 व 3/5A/5B/8 गोवध नि0अधि0 व 11पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया।

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे द्वारा वांछित अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु दिये गये आदेश/निर्देश के क्रम में अनन्त चन्द्रशेखर (आई.पी.एस.), अपर पुलिस अधीक्षक सदर व स्नेहा तिवारी, क्षेत्राधिकारी सकलडीहा के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बलुआ अतुल कुमार के नेतृत्व में दिनांक 24.10.2025 को थाना बलुआ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान गंगा नदी बलुआ पुल बहद ग्राम सराय से गोवध के अभियोग में वांछित शातिर गोतस्कर व 25000/- रूपये इनामिया अभियुक्त वकील पुत्र बांके उर्फ जमुना प्रसाद निवासी ग्राम सरेहुआ खुर्द थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली उम्र करीब 36 वर्ष के कब्जें से अवैध एक रिवाल्वर.38 बोर व एक जिन्दा कारतूस .38 बोर को बरामद कर किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 280/2025 धारा 7/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ अभियुक्त-
पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वर्ष 2021 में मैं थाना कन्दवा से गोतस्करी में जेल गया था तथा थाना सकलडीहा पर भी मेरे खिलाफ भैंस चोरी का मुकदमा लिखा हुआ है।
दिनांक 17.01.2025 को मैं व अपने तीन अन्य साथियों के साथ पिकअप में गोवंशों को लाद कर वध हेतु बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल लेकर जा रहे थे कि सुबह लगभग 04 बजे के आसपास हम लोगों की गाड़ी से साइकिल सवार एक व्यक्ति बलुआ थाना क्षेत्र के ग्राम सोनहुला के पास कबाड़ की दुकान के पास टकरा गया था जिससे पिकअप अनियन्त्रित होकर टाइल में फंस गयी थी तथा बिजली विभाग का खम्भा भी छतिग्रस्त हो गया था। हम चारों लोग मौके से भाग गये थे।
अवैध असलहा के स्त्रोत के बारे में बताया कि यह असलहा व कारतूस मैं अपने पास लोगों को धमकाने और धौंस जमाने के लिए अपना पास रखता हूँ जब हम लोग गोवंशों को लेकर जाते हैं तब भी मैं यह असलहा अपने पास रखते हैं ताकि मौके पड़ने पर इसका

इस्तेमाल किया जा सके। रिवाल्वर व कारतूस को मैंने बिहार में राह चलते ही एक व्यक्ति से खरीद लिया था जिसका नाम पता मैं नहीं जानता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
वकील पुत्र बांके उर्फ जमुना प्रसाद निवासी ग्राम सरेहुआ खुर्द थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली उम्र करीब 36 वर्ष

बरामदगी का विवरण-
1.01 अवैध रिवाल्वर .38 बोर
2.01 जिन्दा कारतूस .38 बोर
3.01 स्मार्ट फोन TECNO SPARK

आपराधिक इतिहास अभियुक्त-
1.मु0अ0स0 12/2025 धारा 106(1), 281, 324(2)324(3)BNS.व2/3 लोक सम्पत्ति क्षति नि0अधि0 व 3/5a/5b/8 गोवध नि0अधि0 व 11पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना बलुआ जनपद चन्दौली
2.मु0अ0सं0- 92/2021 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना बलुआ जनपद चन्दौली
3.मु0अ0सं0- 130/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली
4.मु0अ0सं0- 280/2025 धारा 7/25 आर्म्स एक्ट थाना बलुआ जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-
1.थानाध्यक्ष अतुल कुमार थाना बलुआ जनपद चन्दौली,
2.उ0नि0 ज्ञय नारायण यादव थाना बलुआ जनपद चन्दौली
3.हे0का0 जलभरत यादव थाना बलुआ जनपद चन्दौली
4.हे0का0 दीपचन्द्र गिरी थाना बलुआ जनपद चन्दौली
5.का0 अनुज कुमार वर्मा थाना बलुआ जनपद चन्दौली

थाना व जनपद चन्दौली

🔷 **थाना चन्दौली पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन से 08 राशि गोवंशो को किया बरामद।**

***चन्दौली-** आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा गोतस्करी व गोतस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनन्त चन्द्रशेखर (आई.पी.एस.) व क्षेत्राधिकारी सदर देवेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह थाना चन्दौली के नेतृत्व में आज दिनाँक 25.10.2025 को उ0नि0 रावेन्द्र सिंह मय हमराह के साथ लीलापुर ओवरब्रिज के कुछ आगे बढे तो बनारस से बिहार कि तरफ जाने वाले NH-19 के किनारे टायर पंचर की दुकान पर मुखबिर द्वारा बताया गया कि हाईवे पर हरे रंग के तिरपाल लगी जो पिकअप खडी है उसमे गोवंश है उसका पिछला टायर फट गया है उसका चालक टायर बदलवाने के लिये आया था। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुचंकर पिकअप वाहन को देखा गया तो उक्त वाहन खड़ी दिखाई जिसमे आगे व पीछे HSNP की नम्बर प्लेट लगी है जिस पर नम्बर UP62T5610 अंकित है तथा वाहन का डाला हरा कलर का तिरपाल से ढका है उक्त पिकअप वाहन का तिरपाल खोलकर चेक किया गया तो उक्त वाहन में कुल 08 राशि जीवित गोवशों को रस्सी के सहारे उनके मुह व पैर को बाधकर क्रुरता पूर्वक बाधकर ले जाया जा रहा था।
उपरोक्त बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 302/2025 धारा 3/5A/5B/8 गो0 नि0 अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी विवरण-
1.एक पीकअप वाहन सं0 UP62T5610
2.08 राशि गोवंश

पुलिस टीम का विवरण-
1.प्र0नि0 संजय कुमार सिंह प्र0नि0 चन्दौली।
2.उ0नि0 रावेन्द्र सिह चौकी प्रभारी मण्डी थाना व जिला चन्दौली।
3.का0 रुपेश दुबे थाना व जिला चन्दौली।
4.का0 प्रियेश कुमार यादव थाना व जिला चन्दौली।

थाना मुगलसराय जनपद चंदौली

▶️ थाना मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा छिनैती की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कब्जें से छिनैती के 11000 हजार रुपये नगद, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 02 मोबाइल व घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया।

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनन्त चन्द्रशेखर(IPS) व क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर कृष्ण मुरारी शर्मा के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मुगलसराय गगन राज सिंह के कुशल नेतृत्व में मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा दिनांक 24.10.2025 को रात्रि में आई हास्पिटल मोहम्मदपुर के सामने ट्रक संख्या UP63BT1094 पर हुई छिनैती के सम्बन्ध में सुरागरसी पतारसी किया जा रहा था, कि जरिये मुखविर द्वारा सूचना मिली कि छिनैती के अभियुक्त दामोदर दास पोखरे के उत्तरी छोर पर मौजूद है और छिनैती का पैसा व सामान आपस में बांटकर कही भागने की फिराक में है मुखबीर की सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पुलिस टीम द्वारा दामोदार दास पोखरे के उत्तरी छोर के पास पहुँच कर पोखरे के उत्तर तरफ घाट के किनारे मोटरसाइकिल के बगल में बैठे संदिग्ध दो व्यक्तियों को पकड़ लिया गया । पकड़े गये अभियुक्तों की पहचान 1.रमजान शेख उर्फ छोटू पुत्र मजनू शेख उम्र करीब 27 वर्ष नि. दुल्हीपुर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम 2. शिवम कुमार उर्फ लाठा पुत्र प्रमोद कुमार उम्र करीब 25 वर्ष नि. बगही थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली के रुप में हुई है। जामा तलाशी में पकड़े गये अभियुक्त रमजान शेख उर्फ छोटू के पैन्ट के दाहिने जेब से एक आधार कार्ड , 6000 रुपये (12 नोट 500 रुपये) व एक जीओ किपैड़ मोबाइल बरामद हुआ व दुसरे अभियुक्त शिवम कुमार उर्फ लाठा की जामा तलाशी में दाहिने जेब से एक पैन कार्ड, 5000 रुपये (10 नोट 500 रुपये) व एक एण्ड्रायड मोबाइल (पोको कम्पनी का) बरामद हुआ । उक्त बरामदगी के आधार पर उक्त व्यक्ति को नियमानुसार दिनांक 25.10.25 को समय 14.54 बजे दोपहर मे गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ विवरण–
पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि दिनांक 24.10.2025 को रात्रि लगभग 11.30 बजे आई हास्पिटल मोहम्मदपुर के सामने ट्रक संख्या UP63BT1094 को हम लोगो ने ट्रक के आगे बाइक खड़ी करके रोक लिया था बाइक को शिवम चला रहा था और मै पीछे बैठा था । ट्रक रोककर ड्राइवर व उसके दो साथियो को डरा धमकाकर हम लोगो ने पैसे , मोबाइल व कागाजात छीन लिए थे। बाद में जब हमने पैसे गिने तो कुल 11000 रुपया था और रात में पकड़े जाने की डर से इधर-ऊधर भागकर समय बिताए और आज दोपहर में पोखरे के किनारे सुनसान जगह पर पैसे के बटवारे हेतु दोनो लोग आये थे कि आप लोगो ने पकड़ लिया।

नाम पता अभियुक्त-
1.रमजान शेख उर्फ छोटू पुत्र मजनू शेख उम्र करीब 27 वर्ष नि. दुल्हीपुर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली ।
2.शिवम कुमार उर्फ लाठा पुत्र प्रमोद कुमार उम्र करीब 25 वर्ष नि. बगही थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

अपराधिक विवरण –
1.रमजान शेख उर्फ छोटू पुत्र मजनू शेख उम्र करीब 27 वर्ष नि. दुल्हीपुर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली ।
(i)मु0अ0सं0 551/2017 धारा 379/411 भादवि थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली
(ii) मु0अ0सं0 1008/2017 धारा 380/411 भादवि थाना जीआरपी पीडीडीयू नगर जनपद चन्दौली
(iii) मु0अ0सं0 1027/2017 धारा 380/411 भादवि थाना जीआरपी पीडीडीयू नगर जनपद चन्दौली
(iv) मु0अ0सं0 1032/2017 धारा 8/21/22 NDPS Act थाना जीआरपी पीडीडीयू नगर जनपद चन्दौली
(V)मु0अ0सं0 529/2025 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

2.शिवम कुमार उर्फ लाठा पुत्र प्रमोद कुमार उम्र करीब 25 वर्ष नि. बगही थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली
(i) मु0अ0सं0 529/2025 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

विवरण बरामदगी–
1.11000 हजार रुपये नगद, आधार कार्ड, पैन कार्ड व एक मोबाइल पोको कंपनी का व एक jio कंपनी का कीपैड मोबाइल

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-
1.प्रभारी निरीक्षक गगन राज सिंह थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।
2.उ0नि0 धर्मदेव सिंह चौकी प्रभारी दुल्हीपुर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।
3.उ0नि0 सुरेश चन्द्र पाण्डेय चौकी प्रभारी चन्धाशी थाना मुगलसराय चन्दौली
4.उ0नि0 अभिषेक शुक्ला चौकी प्रभारी जलीलपुर थाना मुगलसराय चन्दौली
5.हे0का0 मनीष सिंह कोतवाली मुगलसराय चन्दौली।
6.हे0का0 मेराज कोतवाली मुगलसराय चन्दौली।
7.हे0का0 अतुल सिंह कोतवाली मुगलसराय चन्दौली।